न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–123/2015
CIS NO. TS 254/2018

मंगल राउत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 जानकी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
10.12.2024	वादीगण की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 मु0 जानकी की मृत्यु दिनांक 25.07.2023 को हो चुका है। मृतका अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में छः पुत्र मंहथ मांझी, हिरा मांझी, विदेशी मांझी, गम्मा मांझी, संत माझी एवं शिवनाथ मांझी तथा एक पुत्री सती देवी को छोडकर मरी। जिसमें से विदेशी मांझी एवं गम्मा मांझी प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 के रूप में पूर्व से ही पक्षकार है तथा संत मांझी अपने पीछे अपने विधवा शांति देवी एक पुत्र संजय मांझी तथा दो पुत्री लालसा देवी एवं सुशीला देवी को छोडकर मरे है तथा शिवनाथ मांझी भी अपने पीछे विधवा मु0 रश्मि देवी एवं दो पुत्र करिमन मांझी एवं छोटक मांझी तथा दो पुत्री लक्ष्मीना देवी एवं सुमित्रा देवी को छोडकर मरे है तथा प्रतिवादी सं0–04 भोला मांझी दिनांक 12.06.2023 को अपने पीछे मु0 गुलशन देवी एवं एक पुत्री अमिता देवी तथा एक लडका राम ध्यान मांझी को छोडकर मरे। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतका के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 मु0	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–123/2015
CIS NO. TS 254/2018

मंगल राउत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 जानकी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 10.12.2024	जानकी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन समय से नहीं दिया गया है फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2023 को मो0–500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतका के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतका के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादीगण प्रतिस्थापन करें तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 05.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	